<u>न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–8, बिजनौर।</u>

सत्रवाद सं0–24 / 2016

सरकार **बनाम** माजिद आदि

<u>दिनांक–19–11–2019</u>

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण शहजाद, रिहान व इरशाद की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्तगण का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र केवल आज के लिए स्वीकृत किया जाता है। शेष अभियुक्तण कासिम व इन्तजार के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 एन0एस0 जारी हैं तथा अभियुक्त माजिद की मृत्यु आख्या थाने से दाखिल है तथा अभियुक्त की मृत्यु आख्या के तामीलकर्ता एस0आई0 श्रीपाल सिंह को अभियुक्त माजिद की मृत्यु आख्या के संबंध में साक्ष्य हेतु उपस्थित किया गया गया। एस0आई0 श्रीपाल सिंह के द्वारा अपनी साक्ष्य बतौर सी0डब्लू01 दिनांकित 19.11.2019 में कथन किया है कि अभियुक्त को गिरफ्तारी अधिपत्र उन्हें प्राप्त हुआ था, जिसकी तामीला की गई तो पता चला कि अभियुक्त की मृत्यु दिनांक 26.07.2019 को हो चुकी है। अभियुक्त का गिरफ्तारी अधिपत्र व मृत्यु प्रमाण पत्र पत्रावली पर कागज ख–97 / 1 दाखिल है। चूंकि उपरोक्त वाद में अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए **<u>अभियुक्त माजिद पुत्र इमामुद्दीन, निवासी महल का नंगला, थाना चांदपुर, जिला बिजनौर के विरूद्ध वाद की कार्यवाही अबेट की जाती है</u>** तथा शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध वाद की कार्यवाही पूर्वानुसार जारी रहेगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि उपरोक्त सत्र वाद से संबंधित अन्य सत्रवाद संख्या–25 / 16, सरकार बनाम माजिद, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–26 / 16, सरकार बनाम इन्तजार, धारा–4 / 25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–27 / 16, सरकार बनाम कासिम, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–29 / 16, सरकार बनाम रिहान, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–30 / 16, सरकार बनाम इरशाद, धारा–4 / 25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर एक ही घटना से संबंधित वाद है, जिसमें एक साथ साक्ष्य होनी है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त पत्रावलियों को एकीकृत किए जाने की प्रार्थना की गई है।

मेरे द्वारा उपरोक्त समस्त पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वाद सत्र वाद संख्या–24 / 2016, सरकार बनाम माजिद आदि से संबंधित सत्रवाद सत्रवाद संख्या–25 / 16, सरकार बनाम माजिद, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–26 / 16, सरकार बनाम इन्तजार, धारा–4 / 25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद

संख्या–27/16, सरकार बनाम कासिम, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–29/16, सरकार बनाम रिहान, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–30/16, सरकार बनाम इरशाद, धारा–4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर उपरोक्त मुकदमे के माल मुकदमाती हैं तथा सभी वादों में एक ही साक्ष्य होना है। अतः उपरोक्त समस्त वादों का विचारण एक साथ किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः सत्र वाद संख्या–24/2016, सरकार बनाम माजिद आदि व सत्रवाद संख्या–25/16, सरकार बनाम माजिद, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–26/16, सरकार बनाम इन्तजार, धारा–4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–27/16, सरकार बनाम कासिम, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–29/16, सरकार बनाम रिहान, धारा–25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर, सत्रवाद संख्या–30/16, सरकार बनाम इरशाद, धारा–4/25 आयुद्ध अधिनियम, थाना नूरपुर की पत्रावलियों को एकजाई किया जाता है। उपरोक्त वाद में **सत्र वाद सख्या–24/2016, सरकार बनाम माजिद की पत्रावली लीडिंग पत्रावली** रहेगी। अभियुक्तण कासिम व इन्तजार के विरूद्ध एन0बी0डब्लू0 एन0एस0 जारी हों। पत्रावली दिनांक 28.11.2019 को वास्ते हाजिरी/एफ0ओ0 पेश हो।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं0–8, बिजनौर।